



मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नयुक्त, सेवा शर्तें और पद की अवधि) वधियक, 2023

प्रलिस के लिये:

[मुख्य चुनाव आयुक्त \(CEC\)](#) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिये प्रस्तावित वधियक, [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#), [जनहति याचिका \(PIL\)](#), [अनुच्छेद 324](#), आदर्श आचार संहति

मेन्स के लिये:

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिये प्रस्तावित वधियक, इसका महत्त्व और संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने [मुख्य चुनाव आयुक्त \(CEC\)](#) एवं [चुनाव आयुक्तों \(EC\)](#) की नयुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा में एक वधियक प्रस्तुत किया है।

- इस कदम ने प्रवर समिति की संरचना और प्रक्रिया की स्वतंत्रता के लिये इसके नहितार्थों के बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी है।

पृष्ठभूमि:

- मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नरिणय दिया कि CEC और EC की नयुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा में वपिक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। उनकी नयुक्तियों पर संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है।
- यह नरिणय नयुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली वर्ष 2015 की जनहति याचिका (PIL) से सामने आई थी।

नोट: यह नरिणय न्यायमूर्त के.एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वर्ष 2015 में एक जनहति याचिका के जवाब में दिया था, जिसमें केंद्र द्वारा चुने गए चुनाव आयोग के सदस्यों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। वर्ष 2018 में दो जजों की सर्वोच्च न्यायालय बेंच की स्थापना की गई थी, इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया क्योंकि इसके लिये अनुच्छेद 324 की बारीकी से जाँच की आवश्यकता थी।

संवधान.

- अनुच्छेद 324(2) के अनुसार:** मुख्य चुनाव आयुक्त और कोई अतरिक्त चुनाव आयुक्त यदि कोई हो, तो चुनाव आयोग के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या किसी अतरिक्त चुनाव आयुक्त की नयुक्ति करता है, जो संसद द्वारा इस संबंध में पारित किसी भी कानून के प्राधानों के अधीन है।
- चूँकि संवधान के [अनुच्छेद 324](#) द्वारा कोई संसदीय कानून लागू नहीं किया गया था, इसलिये न्यायालय ने "संवैधानिक शून्यता" को संबोधित करने के लिये यह कदम उठाया है।
 - वधियक अब इस **रक्तिता को दूर करने** और नरिवाचन आयोग में नयुक्तियों करने के लिये एक **वधियी प्रक्रिया स्थापित** करने का प्रयास करता है।

वर्तमान में मुख्य नरिवाचन आयुक्त और नरिवाचन आयुक्त की नयुक्ति:

- वर्तमान में मुख्य नरिवाचन आयुक्त एवं नरिवाचन आयुक्त की नयुक्ति के लिये संवधान में कोई **वशिष्ट वधियी प्रक्रिया** परभाषित नहीं है। संवधान के भाग XV (नरिवाचन) में केवल पाँच अनुच्छेद (324-329) हैं।

- संवधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार, "चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में नहिंति है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।
- मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार की सफ़ारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।

वधियक की मुख्य विशेषताएँ:

- चयन समितिकी संरचना:
 - चयन समिति में शामिल होंगे:
 - अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री।
 - सदस्य के रूप में लोकसभा में वपिकष का नेता।
 - यदि लोकसभा में वपिकष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो लोकसभा में सबसे बड़े वपिकषी दल का नेता यह भूमिका नभिएगा।
 - प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
- खोज समिति:
 - वधियक में CEC और EC के पदों पर वचिर करने के लिये पाँच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति (Search Committee) की स्थापना का प्रस्ताव है।
 - खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सचिव के पद से नीचे के दो सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा।
- रक्ति के कारण अमान्य नहीं कथिा जा सकता:
 - चयन समिति के संवधान में कसिी रक्तिा दोष के कारण CEC और अन्य EC की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
- पछिले अधनियम को नरिस्त करना:
 - प्रस्तावति वधियक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधनियम, 1991 को नरिस्त करता है।
 - नए अधनियम के पारति होने के बाद चुनाव आयोग का कामकाज उसके द्वारा नियंत्रित होगा।
 - 1991 के अधनियम में प्रावधान है कि EC का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा।
 - वधियक में प्रावधान है कि CEC और अन्य EC का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी।
- सर्वसम्मत और बहुमत का नरिणय:
 - वधियक इस प्रावधान को बनाए रखता है कि चुनाव आयोग का कामकाज जब भी संभव हो सर्वसम्मत से कथिा जाना चाहिये। मतभेद की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा।

चतिाएँ:

- शक्ति का संतुलन:
 - तीन सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा नामित) शामिल होते हैं वपिकष के नेता के पास प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अलपमत रह जाता है।
 - इससे समिति के भीतर शक्ति संतुलन पर सवाल उठता है और क्या चयन प्रक्रिया वास्तव में स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है या कार्यपालिका के पक्ष में झुकी रहती है।
- निर्वाचति शासन पर प्रभाव:
 - प्रस्तावति परिवर्तनों का ECI की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है।
 - निर्वाचन के संचालन में नषिपक्षता और सत्यनषिठा सुनिश्चित करने के लिये निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। प्रवर प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई भी कथति प्रभाव बिना पक्षपात के अपनी ज़िम्मेदारियों नभियाने की निर्वाचन आयोग की क्षमता के बारे में चतिाएँ उत्पन्न कर सकता है।
- निर्माताओं के उद्देश्यों के साथ संरक्षण:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पछिले नरिणय में इस बात पर ज़ोर दिया था कि संवधान निर्माताओं का उद्देश्य चुनावों की नगिरानी के लिये एक स्वतंत्र निकाय से था।
 - प्रस्तावति वधियक के आलोचक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या प्रवर समितिकी नई संरचना निर्वाचन के लिये ज़िम्मेदार एक नषिपक्ष और स्वतंत्र निकाय बनाने के निर्माताओं के उद्देश्य के अनुरूप है।

भारत में स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयुक्तों की भूमिका:

- भारत निर्वाचन आयोग:
 - भारत में स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी।
 - चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
 - चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

■ नषिपकष एवं स्वतंत्र चुनाव:

- **चुनाव आयोजति करना:** संवधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य वधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नयितरण की शक्ति निर्वाचन आयोग में नहिति होगी।
- **आदर्श आचार संहति:** ECI यह सुनश्चिति करता है कि निर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर मलि।
 - इसके लयि यह **आदर्श आचार संहति** का उपयोग करता है, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लयि पालन करने हेतु दशा-निर्देश निर्धारति करता है।
- **राजनीतिक दलों के संबंध में इसकी भूमिका:** इसका कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चहिन आवंटति करना है।
- यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चहिन आवंटति करने से संबंधति विवादों के नपिटारे के लयि न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
- **मतदाता शक्तिषण कार्य:** भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को उनके अधिकारों और ज़मिमेदारयिों के बारे में जागरूक करने के लयि मतदाता शक्तिषण कार्यक्रम का आयोजन करता है।
- इसके तहत उन्हें मतदान के महत्त्व और वोट डालने के तरीके के बारे में शक्तिषति करने का कार्य कयिा जाता है।
- **चुनाव खर्च की नगिरानी:** यह आयोग चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च की नगिरानी करता है ताकि यह सुनश्चिति कयिा जा सके कि वह कानून द्वारा निर्धारति सीमा से अधिक न हो।
- **चुनावी कदाचार का समाधान करना:** यह आयोग बूथ कैपचरगि, फर्ज़ी मतदान और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसी चुनावी कदाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है।

आगे की राह

- सरकार को चयन समति की संरचना की समीक्षा करनी चाहयि और इसे और अधिक संतुलति बनाने पर विचार करना चाहयि। इसमें नषिपकष नरिणय लेने की प्रक्रयिा सुनश्चिति करने हेतु वपिकष को एक मज़बूत प्रतनिधितिव प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- चयन प्रक्रयिा की वशिषसनीयता में वृद्धा करने के लयि सरकार को स्वतंत्र वशिषज्जों, न्यायवदिों और नागरकि समाज के प्रतनिधियिों को खोज समति में अथवा चयन समति में पर्यवेकषकों के रूप में शामिल कयिा जाना चाहयि।
- वधिषक को अंतमि रूप देने से पहले सरकार को वभिनिन दृष्टकिेणों पर विचार करने और यह सुनश्चिति करने के लयि वपिकषी दलों, कानूनी वशिषज्जों और हतिधारकों के साथ गहन परामर्श करना चाहयि ताकि संबद्ध मुद्दे पर पर्याप्त विचार-विमिर्श हो।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस